

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

पलनी स.न., भोपाल - 462004
= = = = = = = = = = = =

रार्टफ - एक 73- 51 / 20-3/2005. भोपाल, दिनांक -
उपरि,

तथा,
देवदीप शास्त्रीय शिक्षा एवं उच्चता,
उच्च प्रोत्त प्रशार नई दिल्ली।

खिलाड़ :- अशास्त्रीय तंत्र्या आमंत्र फान्डेन्ट स्कूल के अधीन, उच्चम, जिला उच्चायन, मुमुक्षु
को तो. धो. एस. ह. / अमृष. लो. सस. ह. से तम्बिलता हेतु
सन. जो. तो. देने बाबू।

= = 00 = =

राज्य शासन हारा अशास्त्रीय तंत्र्या आमंत्र फान्डेन्ट स्कूल के मेडु उच्चायन, मुमुक्षु
को भो. धो. एस. ह. / अमृष. लो. सस. ह. नई दिल्ली से तम्बिलता हेतु अनाप्स्ति
प्रशार - यत्र विज्ञेय प्रकरण पानकर निम्नलिखित शब्दों पर दिया जाता है :-

01. तंत्र्या को अपनो कृप्य समिति में एक प्रतिनिधि जिला शिक्षा अधिकारी
को ल्यवं दो उनके प्रतिनिधि को शामिल करना होगा तथा दूसरे
प्रतिनिधि के ज्य में माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पंजीयक व्यंपरोक्षाः को
पा उनके प्रतिनिधि को शामिल करना अनिवार्य है।
02. नीतिगत निर्णयों में इन दोनों मनोनीत सदस्यों को आगंत्रित करना
होगा।
03. उच्चप्रदेश शासन हारा शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए निये गये निर्णयों
में यदि तंत्र्या ने विनाई कार्यों को अपेक्षा जो जातो है तो ऐसे कार्यों
को तंत्र्या को करना होगा।
04. छेलकूद, गतिविधियों में यदि तंत्र्या याहे तो सदरूपता ग्रहण कर सकता
है। परन्तु ऐसा न होने पर भी यदि उच्चप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा
विभाग को इनके किसी परिसर दा भवन को आदायकता पड़तो है
तो उपलब्ध कराना होगा।

11/2/05

05. राज्यों कार्यक्रमों को तयारित करने के लिए परिसंचया वा
भवन या स्टाफ को सेवाओं को आदरण्डता होगी, तो उन्हें
उपलब्ध कराना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम है
तथा आदेशानुसार

श. अर. अर. बृहिरकार
जनरल लिंग

मध्यप्रदेश भासन, राज्य शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक - 9-11-05

पृष्ठांकन क्रमांक संख्या 73- 51/20-3/2005

प्रतिलिपि :-

1. अधुक्त, लोक शिक्षण, मध्यो भोपाल।

2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला:- उज्ज्वल, मध्यप्रदेश

प्राचार्य, अशोकगढ़ जनरल राज्य शिक्षा विभाग, उज्ज्वल, मध्यो

3. अर्डर बुक।

4. को जोर सूचनार्थ सं अपर्याप्त कार्यवाही हेतु अर्णु लिंग है।


अधर लिंग 111/05
मध्यप्रदेश भासन, राज्य शिक्षा विभाग